







श्वेमा बनाम लहमण (बगैरा)

किस्म मुकदमा आ-पत्र 111/28 नं० 64 सन् 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16-4-21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक <u>28-5-21</u> को पेश हो ।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
28-5-21	<p>जज का उपस्थित पीठाधीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अदालत पर है / पदरिक्त है। आ: पत्रावली दिनांक <u>16-7-21</u> को पेश हो ।</p> <p></p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
16-7-21	<p>जज का उपस्थित पीठाधीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अदालत पर है / पदरिक्त है। आ: पत्रावली दिनांक <u>17-8-21</u> को पेश हो ।</p> <p></p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
17-8-21	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जार्ज उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शां पं क्रिये जाये । वास्ते पत्रावली से विपक्षीगण के विकर अग्रिम पत्रावली हेतु पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो ।</p> <p></p>	
13-12-21	<p>पत्रावली प्रशासन गांवो के सेग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत जिन्दास मे पेश हुई तदपीलपर माण्डल से मौका बिपीट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। माथा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p></p> <p>डा. पूजा समरौना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवो के सेग अभियान 2021</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 64/21 प्र.पत्र

1- श्री रवेन्द्रा देवा गादरी विवासी - जिन्द्रास तहसील - मांडल
--प्रार्थी

बनाम

1- श्री लक्ष्मण शंभू देवीगा विवासी - जिन्द्रास तहसील - मांडल (कोरा)
--विपक्षीगण
(सिद्धांत 9) प्र.पत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... जिन्द्रास पटवार हल्का..... जिन्द्रास तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. 13, 35 कुल किता 02 रकबा..... 0.8600 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 15.4.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... जिन्द्रास पटवार हल्का..... जिन्द्रास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 13, 35 कुल किता 02 रकबा..... 0.8600 हेक्टेयर.....

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... भगवानपुर को 500/-/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर प्रार्थीगणों के पत्थरगद्दी विधान 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021